सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 3/17 **निर्णय दिनांक : 23.2.2018**

1. श्रीमती वीणा देवी पत्नी श्री विनोद कुमार जाति ढाढी निवासी अरजनसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार कोलायत।
2. विनोद कुमार पुत्र अमरचन्द जाति ढाढी निवासी अरजनसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
3. एम.जी.बी. ग्रामीण शाखा गोडू जरिये शाखा प्रबन्धक।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 29.12.2016
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

उपस्थितः

1. श्री अमरदीप सिंह, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी कोलायत के निर्णय व डि ी दिनांक 29—12—2016 जिसके द्वारा स्टेट का वाद स्वीकार किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि रकबा वाके चक 19 एमजीएम मुरब्बा नम्बर 222/36 के किला नम्बर 1 ता 25 में 24 बीघा खातेदारी भूमि स्थित है जिस पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का सामलाती कब्जा काश्त चला आ रहा है। मौके पर ढाणी बनी हुई है। अपीलांट द्वारा अथक मेहनत कर हजारों रूपया लगाकर भूमि को सुधारा व काबिल काश्त बनाया है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 का कथन है कि इस भूमि पर अवैध रुप से खनन जिप्सम का हो रहा है और जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का ने दी है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा धारा 175 व 177 का अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। राज्य पक्ष का यह दावा दावे की श्रेणी में नहीं आता है क्योकि इस दावे में ना तो सत्यपान है तथा दावा दो कॉपी में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट की खातेदारी केवल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के द्वारा ही समाप्त की जा सकती है। इसलिए अदालत मातहत ने अपीलांट की खातेदारी क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर समाप्त की है। तहसीलदार की फर्द मौका में पूर्व में खनन होना पाया गया अंकित किया गया है, यह कब और किसके द्वारा किया गया है, अंकित नही किया गया है। इसके अलावा समवर्ती काश्तकारों के बयान भी नहीं लिये गये है। इसलिए फर्द मौका एकतरफा किया गया है जिसे अदालत मातहत ने आधार बनाकर विधि विरुद्व कार्य किया है। अदालत मातहत को दावे में तनकियां कायम कर साक्ष्य लेने चाहिए थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वाद की प्रि या के विरुद्व वाद का निस्तारण किया है। अदालत मातहत ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलांट की अपील खारिज की जावे। अपनी बहस के समर्थन में 1009 डीएनजे पेज 244, एससीञ के दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार खातेदारी भूमि में जिप्सम का अवैध खनन करने पर तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ

न्यायालय में धारा 175, 177 आरटीए के तहत वाद पेश किया। अपीलांट को नोटिस जारी किया गया है किन्तु अपीलांट बावजूद सूचना के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है इसलिए उसके विरुद्व इकतरफा कार्यवाही की गई है। चूंकि अपीलांट द्वारा वादगत् कृषि भूमि पर अकृषि कार्य अर्थात अवैद्य जिप्सम निकालने का कार्य किया जा रहा है जो कानूनन अवैद्य है। अदालत मातहत द्वारा संबंधित पटवारी से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार मौके पर अवैद्य खनन पाया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रि या के अनुसार वाद का निस्तारण किया है जो कायम रखा जावे एवं अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. ^ 1ञ उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के समक्ष तहसीलदार राजस्व खाजूवाला ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 व 177 के तहत प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर मौका रिपोर्ट संबंधित पटवारी से प्राप्त की जानी बताई गई है। हमने पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। संबंधित पटवारी द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् जो मौका रिपोर्ट अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत की गई है उक्त रिपोर्ट पर ना तो किसी गवाह के हस्ताक्षर है।

(2) पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि **''मौके पर कोई उपस्थित नहीं।''** दूसरी तरफ उसी रिपोर्ट के अंतिम में यह अंकित किया गया है कि आस–पड़ौस के लोगों को भूमि पर अवैद्य जिप्सम खनन नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया। एक दूसरे से विरोधाभासी कथन है, यदि अन्य पड़ौसी खातेदार/काश्तकार तत्समय उपस्थित थे तो ऐसी स्थिति में गवाह के रूप में उनके हस्ताक्षर मौका रिपोर्ट पर करवाये जा सकते थे। जैसा कि उक्त रिपोर्ट में अंकित नहीं किया गया है।

(3) प्रकरण में तहसीलदार द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कर कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा वादगत् कृषि भूमि पर अवैद्य

खनन का कार्य किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में संबंधित तहसीलदार को मौके पर माईंनिग विभाग के प्रतिनिधि के साथ उपस्थित होकर बयान लिये जाने व मौके पर उपस्थित सामग्री की जब्ती की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। जबकि मौका रिपोर्ट में ना तो माईंनिग विभाग के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर है व ना ही किसी प्रकार की सामग्री के जब्ती बाबत् कोई कार्यवाही किया जाना परिलक्षित होता है।

(4) प्रकरण में तहसीलदार बज्जू के आदेश क्रमांक एलआर/2015/148 दिनांक 27—11—2015 की पालना में संबंधित पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। उक्त रिपोर्ट में यह अभिलिखित है कि चक 19 एमजीएम के मुरब्बा नम्बर 222/36 के किला नम्बर 21 में अवैद्य जिप्सम खनन कार्य रात में होना पाया गया। उक्त अवैद्य **खनन कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है व वास्तव में खुदाई/खननकर्ता कौन है इस बाबत् कोई टिप्पणी अपनी रिपोर्ट में नहीं की गई है।**

(5) प्रस्तुत मामलें में वादगत् भूमि चक 19 एमजीएम के मुरब्बा नम्बर 222/36 के किला नम्बर 21 में अवैद्य खनन होना पाया गया अभिलिखित है। अर्थात मात्र एक किलें में ही अवैद्य खनन पाया गया है। जबकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट की समस्त भूमि अर्थात 24 बीघा भूमि से अपीलांट को बेदखल करते हुए कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश पारित किये गये है। जबकि उपखण्ड अधिकारी कोलायत के समक्ष प्रस्तुत वाद धारा 175 व 177 का था जिसमें प्रतिवादी को सुनवाई व जबाव का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है। वाद में साक्ष्य लेकर न्यायिक विवेचना करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए था किन्तु इस प्रकरण में वाद प्रि या की पालना नहीं की गई है, केवल मात्र स्टेट के वाद में बिना प्रि या अपनाये, बिना साक्ष्य लिये सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो नलटी की श्रेणी में आता है। प्रश्नगत भूमि पर अवैध खनन कब हुआ है तथा वह किसके द्वारा किया गया है, अपीलांट मौके पर काबिज है या नही ? इन तथ्यों की समुचित जांच की जानी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि नहीं की जा सकती।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी कोलायत का आदेश दिनांक 29—12—2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देकर, वाद की प्र ि या अपना कर प्रकरण का निस्तारण करे।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

^ डॉ0 राकेश कुमार शर्मा>
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर